

Conduct of Elections Rules 1961
(Statutory Rules and Order)
FORM 21 C
(See Rules 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan from 69-kathumar (SC) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that –

Sh. Babulal Address **VPO-Ronijathan, Tehsil-Kathumar, Dist-Alwar (Raj)** Sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS (name of the recognized/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Alwar

Date : 11.12.2018

(Jaisingh)
Returning Officer
AC Kathumar 69 (SC)

निर्वाचनों का संचालन नियम,1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिये)

(साधारण निर्वाचन उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा 69-कटूमर(अजा) निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए निर्वाचन निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री बाबूलाल पता - ग्राम-पोस्ट - रोनीजाथान , तहसील - कटूमर , जिला - अलवर(राज.) जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त /रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं। उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान:- अलवर

दिनांक- 11.12.2018

(जयसिंह)

रिटर्निंग अधिकारी

विधानसभा क्षेत्र कटूमर (69) अजा